



छत्तीसगढ़ शासन



खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

सस्ता चाऊंर सब्बो सेती

खुसी बगरगे चारों कोती



वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

2020-21




छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
विभाग



प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2020-2021



विगत 10 वर्षों में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की उपलब्धियां



छत्तीसगढ़ शासन

विभाग	—	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
भारसाधक मंत्री	—	माननीय श्री अमरजीत भगत

सचिवालय

सचिव	—	डॉ. कमलप्रीत सिंह
विशेष सचिव	—	श्री मनोज कुमार सोनी
संयुक्त सचिव	—	श्री गजपाल सिंह सिकरवार
अवर सचिव	—	श्री सुधीर कुमार काले


विभागाध्यक्ष

संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान	—	श्री अभिनव अग्रवाल श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी
--	---	--


आयोग / निगम / मंडल

अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग	—	न्यायमूर्ति श्री चन्द्रभूषण बाजपेयी
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग प्रबंध संचालक ,	—	श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा श्री अभिनव अग्रवाल
छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज़ कार्पोरेशन	—	श्री निरंजन दास

विगत 10 वर्षों में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए किसान पंजीयन



भाग - एक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की संरचना



विभाग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं आयोग / सार्वजनिक उपक्रम

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित विभागाध्यक्ष कार्यालय कार्यरत हैं :-

- (1) खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संचालनालय
- (2) नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान

विभागाध्यक्ष कार्यालयों की संरचना एवं इनके अधीनस्थ जिला कार्यालयों की संरचना का उल्लेख इस भाग में आगे उल्लेखित है।

उपरोक्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों के अतिरिक्त विभाग से संबंधित निम्नलिखित आयोग / सार्वजनिक उपक्रम कार्यरत हैं :-

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग
- (2) छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग
- (3) छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम
- (4) छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम

विभाग से संबंधित उपरोक्त आयोग एवं निगमों की संरचना इस भाग में आगे वर्णित है।

विभाग के दायित्व

विभाग का मूलभूत दायित्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन, आवश्यक वस्तुओं के व्यापार का जनहित में विनियमन, समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन के साथ-साथ विधिक मापविज्ञान नियमों के प्रवर्तन एवं उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण-संवर्धन है। विभाग से संबंधित विभिन्न दायित्वों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन एवं इसमें प्रावधानित सभी पात्रताओं का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित कराना ।
- सार्वभौम पीडीएस का क्रियान्वयन ।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न, शक्कर, नमक, चना, गुड़, केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुएं नियत दरों पर उपलब्ध कराना ।
- खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की आम उपभोक्ताओं को सुगमता से उपलब्धता एवं प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत विभाग से संबंधित नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन ।
- घोषित समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन की व्यवस्था कराना जिससे कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके ।
- विधिक एवं बजट नियंत्रण संबंधी कार्य ।
- राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरम के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन ।
- विधिक मापविज्ञान से संबंधित अधिनियम तथा नियमों का परिपालन ।
- व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक तथा मानव सुरक्षा में उपयोग में आने वाले उपकरणों की विशुद्धता बनाए रखना । बांट माप तथा तौल उपकरणों के सत्यापन/मुद्रांकन हेतु शिविरों का आयोजन ।
- व्यापारिक संस्थानों की जांच एवं त्रुटिकर्ताओं के विरुद्ध नियमों के तहत कार्यवाही । बांट-माप तथा तौल उपकरणों के निर्माता, विक्रेता एवं सुधारकों को अनुज्ञप्तियां प्रदाय करना ।
- विभाग के अंतर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन ।
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत विभाग की सूचीबद्ध सेवाओं का क्रियान्वयन ।

विभाग से संबंधित प्रभावशील अधिनियम, नियम एवं नियंत्रण आदेश

सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता, प्रदाय तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी विभाग से संबंधित निम्नलिखित मुख्य अधिनियम, नियम एवं नियंत्रण आदेश छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील हैं –

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
2. छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2019
3. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी नियंत्रण आदेश
4. भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015
5. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016
6. छत्तीसगढ़ केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979
7. छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980
8. छत्तीसगढ़ चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाए रखना आदेश, 1980
9. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
10. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987
11. छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बंधन) आदेश, 2009
12. केरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन एवं अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993
13. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000
14. मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005
15. छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016
16. छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम, 2016
17. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016
18. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पारदर्शिता और जवाबदेही) नियम, 2017

वर्तमान में स्वीकृत सेटअप के अनुसार संचालनालय एवं मैदानी स्तर पर स्वीकृत पदों की स्थिति निम्नानुसार है :-

संचालनालय के स्वीकृत पदों की जानकारी

क्रमांक	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	प्रथम	12
2	द्वितीय	3
3	तृतीय	35
4	चतुर्थ	10
योग		60

जिला स्तर पर स्वीकृत पदों की जानकारी

क्रमांक	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	प्रथम	4
2	द्वितीय	23
3	तृतीय	559
4	चतुर्थ	79
योग		665

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा

प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों के साथ सभी परिवारों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 13, सन् 2019) की अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त, 2019 को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की गई है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं -

अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत राशन सामग्री की पात्रता हेतु परिवारों की श्रेणियां निम्नानुसार हैं :-

- (1) अन्त्योदय परिवार
- (2) प्राथमिकता परिवार
- (3) सामान्य परिवार

1. अन्त्योदय परिवार :-

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में अन्त्योदय परिवारों की श्रेणी में ऐसे परिवारों को सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है जो विशेष कमजोर सामाजिक समूहों के अंतर्गत चिन्हांकित किए गए हों । विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों में शामिल हैं—केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विशेष कमजोर जनजाति समूह के समस्त परिवार, ऐसे परिवार जिसके मुखिया विधवा अथवा एकाकी महिला है, मुखिया लाईलाज बीमारी से पीड़ित हैं, मुखिया निःशक्त व्यक्ति हैं, मुखिया 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं और जिनके पास आजीविका के सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता नहीं है, मुखिया विमुक्त बंधुआ मजदूर हैं और परिवारों का कोई अन्य समूह जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जावे ।

2. प्राथमिकता परिवार :-

इस श्रेणी के अंतर्गत मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन उनकी पात्रता की सीमा तक समस्त परिवार खाद्य सामग्री प्राप्त करने हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार पात्र हैं । इसके अतिरिक्त भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार, सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार, ऐसे परिवार जिसके मुखिया असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं तथा समस्त परिवार जिसके मुखिया भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, उन्हें प्राथमिकता वाले परिवार की श्रेणी में शामिल किया गया है ।

3. सामान्य परिवार: —

इस श्रेणी के अंतर्गत अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को छोड़कर शेष परिवार (आयकरदाता एवं गैर आयकरदाता परिवार) सामान्य राशनकार्ड के लिए पात्र परिवार होंगे ।

अन्त्योदय, प्राथमिकता एवं सामान्य परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए अग्रानुसार राशन सामग्रियों की पात्रता है —

राशन सामग्री की पात्रता

क.	परिवार का प्रकार	खाद्य पदार्थ	मासिक पात्रता	उपभोक्ता दर
1	अन्त्योदय परिवार	चावल	35 किलो प्रतिमाह	₹ 1.00 प्रति किलो
		चना	02 किलो प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में	₹ 5.00 प्रति किलो
		रिफाईन्ड आयोडाइज्ड नमक	अनुसूचित क्षेत्र में 02 किलो प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 01 किलो प्रति परिवार	निःशुल्क
2	प्राथमिकता परिवार	खाद्यान्न	01 सदस्य वाले राशनकार्डके लिए 10 किलो प्रतिमाह, 02 सदस्य वाले वाले राशनकार्ड के लिए 20 किलो प्रतिमाह, 03 से 05 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 35 किलो प्रतिमाह, 05 से अधिक सदस्य वाले राशनकार्ड में 07 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह	₹ 1.00 प्रति किलो
		चना	02 किलो प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में	₹ 5.00 प्रति किलो
		रिफाईन्ड आयोडाइज्ड नमक	अनुसूचित क्षेत्र में 02 किलो प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 01 किलो प्रति परिवार	निःशुल्क
3.	सामान्य परिवार	खाद्यान्न	01 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 10 किलो प्रतिमाह, 02 सदस्य वाले वाले राशनकार्ड के लिए 20 किलो प्रतिमाह, 03 या अधिक सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 35 किलो प्रतिमाह	₹ 10.00 प्रति किलो

टीप –

- चने की पात्रता, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों तथा माडा क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त अन्त्योदय तथा प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारी परिवारों को है।
- उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रति कार्ड 01 किलो शक्कर की पात्रता है।

- अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवार वाले राशनकार्डधारियों को केरोसिन की पात्रता है।
- बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 02 किलो गुड़ की पात्रता है।

विभिन्न हितग्राही समूहों की पात्रताएं

इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न हितग्राही समूहों हेतु निम्नलिखित प्रावधान हैं –

1. गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क पोषण आहार।
2. छः माह से छः वर्ष के आयु समूह के बच्चों को स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क पोषण आहार।
3. 06 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों को सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों, स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में आठवीं कक्षा तक के बच्चों को शाला दिवस में निःशुल्क मध्याह्न भोजन।
4. आश्रम/छात्रावासों में निवासरत छात्र/छात्राओं हेतु रियायती दर पर खाद्यान्न।
5. कुपोषित बच्चों की पहचान व उन्हें निःशुल्क उचित पोषक आहार।
6. आपातकालीन अथवा प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थितियों में प्रभावित व्यक्तियों हेतु छः माह तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था।

महिला सशक्तिकरण

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। इस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में राशनकार्ड हेतु प्रत्येक परिवार की वरिष्ठ एवं वयस्क महिला को परिवार की मुखिया माना गया है। अतः ऐसे परिवार जिनमें वयस्क महिला मुखिया नहीं होने की घोषणा आवेदक द्वारा की गई है, उन्हें छोड़कर शेष समस्त राशनकार्ड परिवार की वयस्क महिला मुखिया के नाम पर जारी किए गए हैं।

पात्रताओं का समयबद्ध क्रियान्वयन

इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के हितग्राही परिवारों को पात्रता अनुसार सामग्री उन्हें नियत समय-सीमा में प्राप्त हो, इस हेतु सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

खाद्य अधिकार पुस्तिका (राशनकार्ड)

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य अधिकार पुस्तिका अथवा राशनकार्ड जारी करने हेतु पात्र अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवार के चिन्हांकन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत को अधिकार हैं ।

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम के अंतर्गत अन्त्योदय परिवारों को पीला, प्राथमिकता परिवारों को लाल, एकल निराश्रित परिवारों को स्लेटी, अन्नपूर्णा परिवारों को नीला, निःशक्तजन हितग्राही को काला एवं सामान्य परिवारों को सफेद राशनकार्ड जारी किया गया है। 01 जनवरी, 2021 की स्थिति में प्रदेश में अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा, निःशक्तजन एवं सामान्य परिवारों के हितग्राहियों को कुल 67.24 लाख राशनकार्ड जारी किया गया है। योजनावार राशनकार्डों की जानकारी निम्नानुसार है—

अन्त्योदय परिवार (पीला)	प्राथमिकता परिवार (लाल)	एकल निराश्रित (स्लेटी)	अन्नपूर्णा (नीला)	निःशक्तजन (काला)	सामान्य परिवार (सफेद)	योग
14,03,753	43,18,331	38,657	6,106	10,577	9,47,492	67,24,916

सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत राशनकार्डों के हितग्राहियों की पात्रता का आधार निम्नानुसार है —

1. अन्त्योदय परिवार (पीला) राशनकार्ड



भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु अन्त्योदय परिवारों की संख्या 7,18,900 निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के विशेष कमजोर सामाजिक समूहों को अन्त्योदय राशनकार्ड जारी किया गया है। 01 जनवरी, 2021 की स्थिति में 14,03,753 अन्त्योदय राशनकार्ड प्रचलित हैं।

2. प्राथमिकता परिवार (लाल) राशनकार्ड



छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भूमिहीन मजदूर, सीमांत एवं लघु कृषक, असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण मजदूर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को प्राथमिकता राशनकार्ड जारी किया गया है। 01 जनवरी, 2021 की स्थिति में 43,18,331 प्राथमिकता राशनकार्ड प्रचलित है।

3. एकल निराश्रित (स्लेटी) राशनकार्ड



मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत एकल निराश्रित पेंशनधारियों को एकल निराश्रित (स्लेटी) राशनकार्ड जारी किया गया है। 01 जनवरी, 2021 की स्थिति में 38,657 एकल निराश्रित राशनकार्ड प्रचलित है।

4. अन्नपूर्णा (नीला) राशनकार्ड



मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत अन्नपूर्णा योजना के 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बेसहारा वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, किन्तु उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है उन्हें अन्नपूर्णा (नीला) राशनकार्ड जारी किया गया है। 01 जनवरी, 2021 की स्थिति में 6,106 अन्नपूर्णा राशनकार्ड प्रचलित है।

5. निःशक्तजन (काला) राशनकार्ड



मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत प्रदेश में चिन्हांकित 10,577 निःशक्तजनों को राशनकार्ड जारी किया गया है।

6. सामान्य (सफेद) राशनकार्ड



अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के परिवारों को छोड़कर शेष परिवारों (आयकरदाता एवं गैर आयकरदाता) को सामान्य राशनकार्ड जारी किया गया है। 01 जनवरी, 2021 की स्थिति में 9,47,492 सामान्य राशनकार्ड प्रचलित हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुएं उचित दर पर उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु 01 जून 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के आबंटन, राशन सामग्री के समयबद्ध भण्डारण एवं उचित मूल्य दुकानों में उपलब्धता बनाए रखने के साथ-साथ संपूर्ण वितरण व्यवस्था की बेहतर निगरानी के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, लागू होने के पश्चात छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 लागू किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय प्रदेश में 6,501 उचित मूल्य दुकानें संचालित थी किन्तु राज्य गठन के पश्चात इसके विस्तार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अधोसंरचना सुदृढ़ हुई है । वर्तमान में प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल 12,527 उचित मूल्य दुकाने संचालित हैं ।

1. उचित मूल्य दुकानों का संचालन

उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रतिमाह नियमित रूप से खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन, चना, रिफाईन्ड आयोडाईज्ड नमक एवं गुड़ उपलब्ध कराया जा रहा है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारु रूप से संचालन हेतु आवश्यक है कि उचित मूल्य दुकानों का संचालन बेहतर, कार्यकुशल तथा राशनकार्डधारियों के हितों का ध्यान रखने वाली एजेंसियों द्वारा किया जाए ।

राज्य में 01 जनवरी, 2021 की स्थिति में 12,527 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं, जिनका जिलेवार एवं एजेंसीवार विवरण निम्नानुसार हैं –

राज्य में संचालित उचित मूल्य दुकानों की संख्या

क्र	जिला का नाम	एजेंसी का प्रकार					योग	शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों की संख्या	ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों की संख्या	कम्प्यूटरीकृत उचित मूल्य दुकानों की संख्या
		CO(सहकारी समिति)	GP (ग्राम पंचायत)	WO(महिला स्व सहायता समूह)	FO (वन सुरक्षा समिति)	नगरीय निकाय				
1	बस्तर	91	203	129	5	2	430	48	382	412
2	बीजापुर	37	103	46	1	0	187	13	174	73
3	दन्तेवाड़ा	75	50	19	0	0	144	19	125	144
4	कांकेर	108	210	131	8	0	457	25	432	447
5	कोंडागांव	48	203	77	17	0	345	15	330	321
6	नारायणपुर	20	73	14	1	0	108	8	100	35

7	सुकमा	48	97	18	2	1	166	12	154	44
8	बिलासपुर	269	211	156	2	1	639	141	498	634
9	गौरैला-पेन्द्रा- मरवाही	30	33	113	4	0	180	9	171	180
10	जांजगीर	214	126	342	0	0	682	46	636	682
11	कोरबा	108	158	180	6	0	452	61	391	451
12	मुंगेली	67	127	189	1	0	384	16	368	383
13	रायगढ़	54	413	373	9	0	849	80	769	845
14	बालोद	170	167	92	20	0	449	25	424	449
15	बेमेतरा	164	58	220	0	0	442	26	416	436
16	दुर्ग	252	75	222	0	1	550	249	301	550
17	कवर्धा	193	78	210	2	1	484	22	462	484
18	राजनांदगांव	300	155	411	5	0	871	71	800	871
19	बलौदाबाजार	405	83	162	0	0	650	28	622	650
20	धमतरी	260	72	54	0	7	393	33	360	393
21	गरियाबंद	295	43	4	0	0	342	8	334	342
22	महासमुंद	510	61	5	1	0	577	31	546	577
23	रायपुर	446	100	37	0	0	583	174	409	583
24	बलरामपुर	32	243	160	12	0	447	5	442	420
25	जशपुर	7	423	3	0	12	445	14	431	444
26	कोरिया	44	149	147	7	1	348	59	289	348
27	सरगुजा	103	115	256	10	2	486	57	429	471
28	सूरजपुर	77	200	155	4	1	437	12	425	437
कुल योग		4427	4029	3925	117	29	12527	1307	11220	12106

2. राशन सामग्री की पात्रता

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में राज्य के लिए 1,15,338 टन प्रतिमाह चावल का आबंटन जारी किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त मासिक आबंटन में से 25,162 टन चावल अन्त्योदय परिवारों तथा शेष 90,176 टन चावल प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए जारी किया गया है। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त आबंटित चावल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य तथा उपभोक्ता दर 3 रूपये प्रतिकिलो निर्धारित है।

राशनकार्डधारियों के लिए राशन सामग्री की निम्नानुसार पात्रता एवं दर निर्धारित की गई है –

क.	योजना का नाम	योजनावार राशनकार्डों में खाद्यान्न की पात्रता एवं दर				
		खाद्यान्न	शक्कर	रिफाईन्ड आयोडाईज्ड अमृत नमक	केरोसिन	चना
1.	01 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	10 किलो , 01 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	प्रति राशनकार्ड 01 किलो 17.00 रु. प्रति किलो की दर से	अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 01 किलो प्रति परिवार निःशुल्क	नगरीय क्षेत्र में अधिकतम – 02 लीटर ग्रामीण क्षेत्र में गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम – 2 लीटर तथा अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 3 लीटर न्यूनतम 25 रु. एवं अधिकतम 38 रु. प्रति लीटर की दर से प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह	अनुसूचित विकासखण्ड एवं माडा क्षेत्र के हितग्राहियों को प्रतिमाह 02 किलो 5 रु. प्रति किलो की दर से
	02 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	20 किलो , 01 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह				
	03 से 05 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	35 किलो , 01 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह				
	05 से अधिक सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	07 किलो , प्रति सदस्य 01 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह				
2.	अन्त्योदय राशनकार्ड	35 किलो , 01 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड				
3.	अन्नपूर्णा राशनकार्ड	10 किलो , निःशुल्क, 25 किलो , 01 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड				
4.	एकल निराश्रित राशनकार्ड	10 किलो , निःशुल्क प्रतिमाह, प्रति राशनकार्ड	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5.	निःशक्तजन राशनकार्ड	10 किलो , निःशुल्क प्रतिमाह, प्रति राशनकार्ड				
6.	01 सदस्य वाले सामान्य राशनकार्ड	10 किलो , 10 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह				
	02 सदस्य वाले सामान्य राशनकार्ड	20 किलो , 10 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह				
	03 या अधिक सदस्य वाले सामान्य राशनकार्ड	35 किलो , 10 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह				

टीप – बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा , एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 2 किलो गुड़ 17 रूपए प्रति किलो की दर पर प्रदाय किया जा रहा है ।

3. राशन सामग्री की प्रदाय व्यवस्था

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के 11 बेस डिपो संचालित हैं। राज्य शासन की अधिकृत एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो से गेहूं एवं स्वयं के उपार्जन केन्द्रों से विकेन्द्रीकृत योजनांतर्गत उपार्जित चावल एवं चना, नमक, शक्कर, गुड़ का उठाव कर प्रदाय केन्द्रों से उचित मूल्य दुकानों को वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के द्वारा राज्य में संचालित प्रदाय केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार हैं –

क.	जिला	संख्या	प्रदाय केन्द्रों के स्थान
1	बस्तर	4	जगदलपुर, करपावंड, बस्तर (घाटलोहंगा), केशलूर
2	बीजापुर	4	बीजापुर, भोपालपटनम, भैरमगढ़, उसूर (आवापल्ली)
3	दंतेवाड़ा	3	दंतेवाड़ा, गीदम, कुआकोण्डा
4	कांकेर	9	आमाबेड़ा, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, चारामा, कांकेर, नरहरपुर, पंखाजूर, जुनवानी, करप,
5	कोण्डागाँव	4	केशकाल, कोण्डागाँव, बड़ेडोंगर, माकड़ी
6	नारायणपुर	1	नारायणपुर
7	सुकमा	3	सुकमा, कोंटा, दोरनापाल
8	बिलासपुर	6	बिलासपुर, करगीरोड, बिल्हा, सैदा, तखतपुर, जयरामनगर
9	गौरला पैण्ड्रा मरवाही	2	पैण्ड्रारोड, मरवाही
10	जांजगीर	8	चांपा, अकलतरा, डभरा, नैला, सक्ती, बाराद्वार, चंद्रपुर, बोड़ासागर
11	कोरबा	3	कटघोरा, कोरबा, पाली
12	मुंगेली	5	लोरमी, मुंगेली, धपई, गितपुरी, सरगांव
13	रायगढ़	7	रायगढ़, बरमकेला, धरमजयगढ़, घरघोड़ा, खरसिया, सारंगढ़ लैलूंगा
14	बालोद	5	डौंडीलोहारा, डौन्डी, बालोद, गुण्डरदेही, चिटौद
15	बेमेतरा	4	बेमेतरा, साजा, बेरला, थानखम्हरिया
16	दुर्ग	4	दुर्ग, पाटन, कोडिया, धमधा
17	कवर्धा	4	कवर्धा, पण्डरिया, बोडला, हथलेवा (चारभाठा)
18	राजनांदगाँव	9	राजनांदगाँव, डोगरगढ़, खैरागढ़, मोहला, मानपुर, छुरिया, चौकी, तिलई, डोंगरगांव
19	बलौदाबाजार	5	कसडोल, अर्जुनी, बिलईगढ़, भाटापारा, बलौदाबाजार
20	धमतरी	3	धमतरी, कुरुद, नगरी सिहावा
21	गरियाबंद	4	गरियाबंद, देवभोग, राजिम, मैनपुर
22	महासमुंद	5	महासमुंद, बागबाहरा, बसना, सरायपाली, पिथौरा,
23	रायपुर	8	अभनपुर, आरंग, खरोरा, धरसीवा, नेवरा, मंदिरहसौद, रायपुर, नयापारा
24	बलरामपुर	4	कुसमी, रामानुजगंज, वाडूफनगर, राजपुर
25	जशपुर	5	जशपुर, बगीचा, कुनकुरी, पत्थलगांव, फरसाबहार
26	कोरिया	4	बैकुण्ठपुर, जनकपुर, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़
27	सरगुजा	3	अंबिकापुर, सीतापुर, लखनपुर
28	सूरजपुर	3	सूरजपुर, विश्रामपुर, प्रतापपुर
योग		129	

विभागीय योजनाएं

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम

राज्य के सभी नागरिकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। उपरोक्त दोनों अधिनियम के अंतर्गत 01 जनवरी 2021 की स्थिति में 67.24 लाख राशनकार्ड जारी किये गये हैं। राज्य को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रतिमाह केन्द्र शासन से 115338 मेट्रिक टन चावल का आबंटन प्राप्त हो रहा है एवं राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अतिरिक्त राशनकार्डों हेतु चावल की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान माह अप्रैल से दिसंबर, 2020 तक खाद्यान्न के उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :-

(मात्रा मेट्रिक टन में)

विवरण	चावल	
	आबंटन	उठाव
केन्द्रीय पूल	1038042	1038042
राज्य पूल	524264	464659
योग	1562306	1502701

(ख) अन्त्योदय अन्न योजना

यह योजना अति गरीब परिवारों के लिये मार्च, 2001 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अति गरीब परिवारों को रूपए 1.00 प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार, प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है। राज्य को योजनांतर्गत प्रतिमाह 7,18,900 हितग्राहियों हेतु केन्द्र शासन से 25,162 मेट्रिक टन चावल का स्थायी आबंटन प्राप्त हो रहा है एवं राज्य द्वारा अतिरिक्त जारी अन्त्योदय राशनकार्डों हेतु चावल की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। वर्तमान में योजनांतर्गत 14.03 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल से दिसंबर, 2020 तक अन्त्योदय अन्न योजना हेतु आबंटित चावल एवं उठाव की जानकारी निम्नानुसार है –

(मात्रा मेट्रिक टन में)

विवरण	चावल	
	आबंटन	उठाव
केन्द्रीय पूल	226458	226458
राज्य पूल	151789	147847
योग	378247	374305

(ग) छात्रावासों एवं कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न प्रदाय

इस योजना के अंतर्गत राज्य के छात्रावासों एवं कल्याणकारी संस्थाओं में निवासरत हितग्राहियों को बी.पी.एल दर पर 15 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह की पात्रता है। वर्ष 2019–20 से भारत सरकार द्वारा केवल शासकीय एवं शासकीय स्वामित्व वाले छात्रावास एवं कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न आबंटन जारी किया जा रहा है। राज्य के अनुदान प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त आश्रम/छात्रावास एवं कल्याणकारी संस्थाओं को राज्य शासन द्वारा खाद्यान्न आबंटन दिया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा (अप्रैल से सितंबर, 2020) हेतु 4,326 टन चावल प्रतिमाह का आबंटन जारी किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिसंबर, 2020 तक आबंटित खाद्यान्न एवं उठाव की जानकारी निम्नानुसार है –

(मात्रा मेट्रिक टन में)

चावल	
आबंटन	उठाव
5113	4265

(घ) शक्कर

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य शासन द्वारा प्रति राशनकार्ड 1.00 किलो शक्कर की पात्रता तय की गई है। राज्य से प्रतिमाह 5,713 मेट्रिक टन शक्कर का आबंटन जारी किया जा रहा है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसंबर, 2020 तक शक्कर के आबंटन एवं उठाव की जानकारी निम्नानुसार है –

(मात्रा मेट्रिक टन में)

आबंटन	उठाव
50920	50269

(ड.) केरोसिन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों के लिए भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से वर्तमान में प्रतिमाह 4,488 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन प्राप्त हो रहा है । राशनकार्डों में केरोसिन की मासिक पात्रता शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 2 लीटर, गैर अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 2 लीटर तथा अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 3 लीटर प्रतिकार्ड निर्धारित की गई है ।

राज्य में केरोसिन का वितरण थोक केरोसिन डीलर्स, लीड समितियों, उचित मूल्य दुकानों, एवं हॉकर्स के माध्यम से किया जा रहा है । प्रदेश में 67 थोक केरोसिन डीलरों के माध्यम से 12,527 उचित मूल्य दुकानों के अतिरिक्त 471 हॉकर्स द्वारा उपभोक्ताओं को केरोसिन वितरित कराया जा रहा है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल से दिसंबर, 2020 तक केरोसिन के आबंटन एवं उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :-

(मात्रा किलोलीटर में)

आबंटन	उठाव
44808	42975

केन्द्र प्रवर्तित राज्य योजनाएं

केन्द्र प्रवर्तित / केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं

(क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियाकलापों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण की यह केन्द्र क्षेत्रीय योजना है, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का अनुपात 50:50 है । इस योजना के प्रथम चरण में उचित मूल्य दुकान को छोड़कर पीडीएस के समस्त क्रियाकलापों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया जाना है । इस योजना के अंतर्गत राज्य हेतु 15.29 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसमें से दिसम्बर 2020 तक 15.29 करोड़ रुपये की राशि उपयोग की गई है ।

(ख) फोर्टिफाईड राईस वितरण योजना

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य योजनाओं के हितग्राहियों में एनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पोषक तत्वों से युक्त (आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन-बी 12) फोर्टिफाईड राईस वितरण हेतु पॉयलेट जिले के रूप में राज्य के कोण्डागांव जिले को चिन्हांकित किया गया है ।

कोण्डागांव जिले में 01 नवंबर, 2020 से फोर्टिफाईड राईस वितरण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है । जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 1.34 लाख



राशनकार्डधारियों तथा मध्याह्न भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना, छात्रावास कल्याणकारी योजना के हितग्राहियों को फोर्टिफाईड राईस वितरण किया जा रहा है। फोर्टिफाईड राईस वितरण योजना केन्द्र क्षेत्रीय योजना है, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का अनुपात 75:25 है। राज्य शासन द्वारा राज्य योजना के राशनकार्डों में स्वयं के व्यय पर फोर्टिफाईड राईस वितरण किया जा रहा है।

राज्य योजनाएं

(1) सार्वभौम पीडीएस (Universal PDS)–

राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु 02 अक्टूबर 2019 से सार्वभौम पीडीएस प्रारंभ किया गया है। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत प्राथमिकता राशनकार्डों के खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ साथ सामान्य परिवारों के लिए भी खाद्यान्न की पात्रता तय की गई है। प्राथमिकता राशनकार्डों की खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि कर 1 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 3 से 5 सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो तथा 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार के लिए 7 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह चावल 1 रुपए प्रति किलो निर्धारित की गई है। माह अगस्त 2019 से प्राथमिकता परिवारों को बढ़ी हुई पात्रता के अनुसार खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है।



सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवारों (आयकरदाता एवं गैर आयकरदाता) को भी खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। सामान्य राशनकार्डों में खाद्यान्न की पात्रता – 1 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 3 या 03 से अधिक सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो खाद्यान्न 10 रुपये प्रतिकिलो प्रतिमाह निर्धारित की गई है। 01 जनवरी 2021 की स्थिति में 9.47 लाख सामान्य राशनकार्ड जारी किया गया है तथा सामान्य राशनकार्डधारी परिवारों को पात्रता अनुसार खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है।

(2) रिफाईन्ड आयोडाईज्ड अमृत नमक वितरण योजना –

इस योजना में राज्य के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क प्रतिमाह 02 किलो एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क प्रतिमाह 1 किलो रिफाईन्ड आयोडाईज्ड नमक प्रति कार्ड वितरित किये जाने का प्रावधान है। रिफाईन्ड आयोडाईज्ड नमक वितरण में होने वाले व्यय अथवा हानि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जिसका भुगतान वितरण एजेंसी, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन को किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में राशि रुपये 49.34 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।



वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल से दिसंबर, 2020 तक अमृत नमक के उठाव की जानकारी अग्रानुसार है :-

(मात्रा मेट्रिक टन में)

आबंटन	उठाव
72017	70398

(3) चना वितरण योजना

जनवरी 2013 से राज्य के सभी अनुसूचित विकासखण्डों तथा 1 फरवरी 2019 से माडा क्षेत्र के समस्त अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 2 किलो चना 5 रूपए प्रति किलो के मान से प्रदाय किया जा रहा है ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रूपए 171 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर, 2020 तक चना के उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :-

(मात्रा मेट्रिक टन में)

आबंटन	उठाव
25057	24853



(4) मधुर गुड़ वितरण योजना

बस्तर संभाग के जिलों में आयरन की कमी दूर करने के लिए अंत्योदय, प्राथमिकता एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डधारियों को जनवरी 2020 से प्रतिमाह 2 किलो गुड़ 17 रूपए प्रति किलो की उपभोक्ता दर पर प्रदाय किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2020-21 में 50 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर, 2020 तक गुड़ के उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :-

(मात्रा मेट्रिक टन में)

आबंटन	उठाव
11978	6426



(5) पहुंचविहीन क्षेत्रों में राशन सामग्री का अग्रिम भंडारण

प्रदेश के ऐसे स्थानों, जहां वर्षा ऋतु के दौरान आवागमन मार्ग अवरूद्ध हो जाते हैं वहां खाद्यान्न, शक्कर, अमृत नमक तथा केरोसिन उपभोक्ताओं को सुलभ उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्षा ऋतु के पूर्व अग्रिम भण्डारण किया जाता है। शासन द्वारा उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी को ऐसे क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं चार माह के लिए संग्रहित करने हेतु बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

वर्ष 2020–21 में 201 पहुंचविहीन केन्द्रों में राशन सामग्री का अग्रिम भण्डारण कराया गया है।

(6) उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के एकमुश्त भंडारण हेतु पर्याप्त भंडारण सुविधा तथा राशन कार्डधारियों को सुगमता से प्रत्येक माह राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में 50 मेट्रिक टन क्षमता की दुकान सह गोदाम निर्माण कराया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक शहरी क्षेत्रों में 190 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 180 दुकान सह गोदाम निर्माण कराया गया है।



(7) उचित मूल्य दुकान कम्प्यूटरीकरण

भारत शासन के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत राज्य में पीडीएस के समस्त क्रियाकलापों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया जाना है। राज्य में पीडीएस के अंतिम चरण उचित मूल्य दुकानों का कम्प्यूटरीकरण मार्च, 2012 से कोरपीडीएस के माध्यम से प्रारंभ किया गया। कोरपीडीएस के साथ-साथ अगस्त, 2015 से राज्य में उचित मूल्य दुकानों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। वर्तमान में 12,106 उचित मूल्य दुकान कम्प्यूटरीकृत है।

कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिये लॉकडाउन अवधि के दौरान खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा किये गये प्रयास

छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिये लॉकडाउन के दौरान राज्य के निवासियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा विभिन्न जिलों एवं शहरों में फंसे हुए लोग तथा अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों/व्यक्तियों की भोजन/राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्य किये गये –

सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण व्यवस्था – राज्य में कोराना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु लॉकडाउन के दौरान सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत 57 लाख अन्त्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित तथा निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को 03 माह अप्रैल, मई एवं जून 2020 का चावल निःशुल्क वितरण किया गया। इन राशनकार्डधारियों को माह अप्रैल में 02 माह अप्रैल एवं मई का खाद्यान्न, शक्कर, नमक एकमुश्त वितरण किया गया।



इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के राशनकार्डधारियों को मासिक पात्रता के अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न एवं 1 किलो चना निःशुल्क प्रदाय किया गया। भारत सरकार की अतिरिक्त खाद्यान्न पात्रता अनुसार राज्य शासन द्वारा भी राज्य योजना के राशनकार्डधारियों को अप्रैल से नवंबर 2020 तक प्रति सदस्य 5 किलो चावल एवं 1 किलो चना निःशुल्क प्रदाय किया गया है। माह जून 2020 में 1 किलो अरहर दाल निःशुल्क प्रदाय किया गया है।

अप्रैल से नवंबर 2020 तक अतिरिक्त निःशुल्क खाद्यान्न आबंटन एवं उठाव की जानकारी निम्नानुसार है –

(मात्रा मेट्रिक टन में)

विवरण	चावल		चना/दाल	
	आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव
केन्द्रीय पूल	803080	803080	41200	41200
राज्य पूल	64366	62904	4584	4581
योग	867446	865984	45784	45781

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना –

भारत सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को अप्रैल 2020 से नवंबर, 2020 तक प्रति सदस्य अतिरिक्त खाद्यान्न एवं चना/दाल निःशुल्क प्रदाय किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत राज्य को प्रतिमाह 100385 मेट्रिक टन खाद्यान्न तथा 5150 मेट्रिक टन चना का आबंटन प्राप्त हुआ है। इस योजनांतर्गत माह अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 खाद्यान्न के उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :-

(मात्रा मेट्रिक टन में)

चावल		चना/दाल	
आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव
803080	803080	41200	41200



आत्मनिर्भर भारत योजनांतर्गत प्रवासी व्यक्तियों को चावल व चना वितरण –

आत्मनिर्भर भारत योजनांतर्गत अन्य राज्यों से वापस आये प्रवासी व्यक्तियों / श्रमिकों जिनके पास केन्द्र अथवा राज्य सरकार की योजनांतर्गत राशनकार्ड नहीं है, उन्हें माह मई एवं जून, 2020 में प्रति सदस्य 05 किलो चावल एवं प्रति परिवार 01 किलो चावल निःशुल्क प्रदाय किये जाने की व्यवस्था की गई। इस योजना के अंतर्गत 10038 मेट्रिक टन चावल व 528.3 मेट्रिक टन चना का मासिक आबंटन जारी किया गया। इस योजनांतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए प्रवासी व्यक्ति / श्रमिक अपना पंजीयन विभागीय वेबसाईट, जिला प्रशासन के माध्यम से तथा पंजीयन हेतु विभाग द्वारा जारी किये गये एंड्रायड मोबाईल एप्प “प्रवासी खाद्य मित्र” के माध्यम से कराया गया। आत्मनिर्भर भारत योजनांतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 1,09,179 परिवारों के 2,22,605 सदस्यों द्वारा पंजीयन किया गया। पंजीकृत सदस्यों को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से माह मई, जून 2020 हेतु 1732.9 क्विंटल चना तथा 19644.1 क्विंटल चावल का वितरण किया गया।



विभाग द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु किए गए अन्य प्रयास

प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु 02 क्विंटल चावल का आबंटन – ग्राम पंचायतों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में 2 क्विंटल चावल रखने हेतु कुल 11,105 ग्राम पंचायतों के लिए 22,210 क्विंटल चावल का आबंटन जारी किया गया है। जिसमें से 4368 क्विंटल चावल का उपयोग ग्राम पंचायतों के द्वारा किया गया।

प्रवासी श्रमिकों एवं बेघरबार व्यक्तियों के भोजन हेतु चावल की उपलब्धता सुनिश्चित करना— जिलों में संचालित राहत शिविरों / अस्थायी आश्रय स्थलों में निवासरत प्रवासी श्रमिकों एवं बेघरबार व्यक्तियों के भोजन व्यवस्था हेतु चावल की आवश्यकता होने पर इकोनामिक कॉस्ट पर नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से चावल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

नगरीय क्षेत्र में संचालित राहत शिविरों / क्वारेनटाइन शिविरों हेतु चावल आबंटन— राज्य के नगरीय क्षेत्रों व इसके आस-पास संचालित राहत शिविरों और क्वारेनटाइन शिविरों में भोजन व्यवस्था हेतु रियायती दर पर कुल 239 क्विंटल चावल का आबंटन जारी किया गया है। जिसमें से 119 क्विंटल चावल का उपयोग नगरीय निकायों के द्वारा शिविरों में भोजन व्यवस्था हेतु किया गया।

राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा— लॉकडाउन के दौरान जिले में अन्य जिलों के राशनकार्डधारी या जिले के ही अन्य शहर / ग्रामों के राशनकार्डधारी, जो लॉकडाउन के कारण अपने मूल उचित मूल्य दुकानों से राशन सामग्री का उठाव नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें उनके वर्तमान निवासरत स्थान की निकटतम उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान की गई।

नवीन राशनकार्ड बनाने एवं राशनकार्ड में नाम जोड़ने संबंधी कार्यवाही— लॉकडाउन की अवधि में भी छूटे हुए पात्र परिवारों के नए राशनकार्ड बनाए गये हैं। वर्ष 2020-21 में 01 जनवरी 2021 तक 1,92,338 नए राशनकार्ड बनाए गये तथा 2,33,415 नवीन सदस्यों के नाम भी जोड़े गये। यह कार्यवाही सतत् रूप से प्रचलित है।

हेल्प लाइन एवं कन्ट्रोल रूम का संचालन — राज्य में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, भण्डारण, आपूर्ति की निगरानी एवं मॉनिटरिंग तथा प्रवासी श्रमिकों / गरीब परिवारों / निराश्रित व्यक्तियों / जरूरतमंद परिवारों को भोजन एवं सूखा राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उपरोक्त संबंध में आवश्यक सहायता हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, का राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम 25 मार्च 2020 से 24 घंटे संचालित है। जिसका दूरभाष क्रमांक 0771-2882113 है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं नियंत्रण संबंधी कार्यवाही

राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के आबंटन एवं उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय तथा हितग्राहियों को राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :-

(क) पीडीएस-ऑनलाईन व्यवस्था (सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया एवं वर्ष 2008 तक सभी योजनाओं के राशनकार्ड डेटाबेस तैयार करने के साथ-साथ राज्य स्तर से लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों तक के समस्त क्रियाकलाप का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु सभी जिला खाद्य कार्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से राज्य मुख्यालय से जोड़ा गया है । राशन सामग्री के आबंटन हेतु राज्य की समस्त 12,527 उचित मूल्य दुकानों का डेटाबेस तैयार किया गया एवं उनसे संलग्न राशनकार्डों के आधार पर जनवरी, 2008 से कम्प्यूटर के माध्यम से खाद्य संचालनालय द्वारा दुकानवार राशन सामग्री का आबंटन जारी किया जा रहा है । इस हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के सभी 129 प्रदाय केन्द्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है । इस प्रकार राज्य मुख्यालय से लेकर लगभग राज्य के तहसील स्तर तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन सामग्री के आबंटन, प्रदाय की प्रक्रिया ऑनलाईन है । कस्टम मिल्ड चावल का उपार्जन भी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन द्वारा ऑनलाईन किया जा रहा है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण से यह व्यवस्था पूर्व की तुलना में अधिक पारदर्शी एवं कार्यक्षम हुई है तथा इसकी मॉनिटरिंग में आशानुरूप सुधार हुआ है ।

राज्य में पीडीएस के अंतिम चरण उचित मूल्य दुकानों का कम्प्यूटरीकरण एंड्रायड आधारित टेबलेट के माध्यम से किया जा रहा है । वर्तमान में 12,106 उचित मूल्य दुकान कम्प्यूटरीकृत है । उचित मूल्य दुकान स्तर तक कम्प्यूटरीकरण से राशनकार्डधारियों को राशन सामग्री वितरण की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध होगी इस व्यवस्था से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी होगी ।



(ख) राशनकार्डों में मुखिया एवं सदस्यों के आधार नंबर की सीडिंग

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण (Authentication) आधारित राशन सामग्री के वितरण व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डों में मुखिया एवं सदस्यों के आधार नंबर प्राप्त कर राशनकार्ड डेटाबेस में सीडिंग की कार्यवाही की जा रही है। राज्य में प्रचलित 67.24 लाख राशनकार्डों में कुल सदस्य 2.49 करोड़ हैं, जिनके आधार नंबर प्राप्त किए जा रहे हैं। 01 जनवरी 2021 की स्थिति में 2.47 करोड़ सदस्यों के आधार नंबर प्राप्त हुए हैं, जिनकी राशनकार्ड डेटाबेस में सीडिंग की कार्यवाही प्रचलित है। प्रचलित राशनकार्डों में से 66.95 लाख (99.9 प्रतिशत) राशनकार्डों में कम से कम 1 सदस्य की आधार सीडिंग की गयी है।

(ग) चावल उत्सव

राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण की नियमित निगरानी के लिए माह फरवरी, 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है। चावल उत्सव के लिए जिन गांवों में उचित मूल्य दुकान संचालित है तथा वहां साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, वहां प्रत्येक माह की 06 तारीख के बाद लगने वाले प्रथम हाट बाजार के दिन चावल उत्सव का आयोजन किया जावेगा तथा शेष उचित मूल्य दुकानों में प्रत्येक माह की 07 तारीख को चावल उत्सव आयोजित हो रहा है।

इसकी सूचना राशनकार्डधारियों को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था की गई है। चावल उत्सव के दौरान कलेक्टर द्वारा नियुक्त नोडल ऑफिसर एवं उचित मूल्य दुकान की निगरानी समिति के समक्ष राशनकार्डधारियों को राशन सामग्री का वितरण कराया जा रहा है। इस उत्सव के आयोजन से निर्धारित तिथि पर राशनकार्डधारी द्वारा राशन सामग्री प्राप्त की जा सकती है।

(घ) कॉल सेंटर

राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। खाद्य विभाग द्वारा जनवरी, 2008 से संचालित किए जा रहे कॉल सेंटर का दूरभाष क्रमांक 1800-233-3663 एवं 1967 है और यह एक टोल फ्री (निःशुल्क) फोन लाइन है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक

टोल फ्री नम्बर -1800-233-3663 & 1967



सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता

है तथा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है । कॉलसेंटर में अनेक उपभोक्ताओं द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जानकारी प्राप्त किए जाने के साथ-साथ दिसंबर, 2020 तक कुल 23,300 शिकायते दर्ज कराई गई है । प्राप्त शिकायतों में से 22,455 शिकायते निराकृत की जा चुकी है ।

(ड.) जनभागीदारी वेबसाइट

जन भागीदारी वेबसाइट राज्य शासन का अभिनव प्रयोग है। इस वेबसाइट का पता <https://khadya.cg.nic.in/citizen/citizenhome.aspx> है ।



कोई भी नागरिक इस वेबसाइट में अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकता है । पंजीयन कराने के बाद नागरिकों को ई-मेल के माध्यम से खाद्य विभाग से संबंधित शिकायत एवं सुझाव भेजने की सुविधा उपलब्ध हो जावेगी । इस पंजीयन के बाद नागरिकों द्वारा एस.एम.एस. के माध्यम राशन दुकान की जानकारी हेतु पंजीयन किया जा सकता है । एस.एम.एस. सुविधा के लिए पंजीयन में दर्ज किए गए मोबाईल नंबर अथवा ई-मेल आईडी पर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्र से संबंधित राशन दुकान को राशन प्रदाय हेतु ट्रक चालान कम्प्यूटर पर जारी करते ही राशन की मात्रा एवं ट्रक क्रमांक की जानकारी के साथ-साथ प्रदाय तिथि एवं समय की जानकारी एस.एम.एस. अथवा ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध हो जावेगी । अपने मोबाईल नंबर पर राशन प्रदाय की जानकारी प्राप्त होते ही नागरिक द्वारा संबंधित राशन दुकान में जाकर राशन सामग्री के पहुंचने की पुष्टि भी की जा सकती है । उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न भंडारण के एस.एम.एस. प्राप्त करने हेतु 64,491 मोबाईल नंबर पंजीकृत हुए हैं । इन पंजीकृत मोबाईल नंबरों पर अब तक 254.78 लाख एस.एम.एस. भेजे गये हैं ।

आवश्यक वस्तुओं के व्यापार का विनियमन

विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जारी विभिन्न नियंत्रण आदेशों के माध्यम से निर्धारित आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं प्रदाय व्यवस्था का विनियमन किया जाता है।

(क) छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बंधन) आदेश, 2009

चावल, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, शक्कर एवं प्याज की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर नियंत्रण तथा इन आवश्यक वस्तुओं की प्रदेश में उपलब्धता तथा प्रदाय व्यवस्था में सुगमता बनाये रखने हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बंधन) आदेश, 2009 को माह अगस्त, 2009 से राज्य में प्रभावशील किया गया है। इस आदेश के अंतर्गत भारत शासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं के संग्रहण की अधिकतम सीमा निर्धारण के आधार पर राज्य में आवश्यक वस्तुओं के संग्रहण की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकती है।

(ख) आवश्यक वस्तुओं की मूल्य निगरानी व्यवस्था

खाद्य संचालनालय द्वारा प्रतिदिन 23 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा एवं थोक मूल्यों की निगरानी के लिए प्राईस मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है। संचालनालय के अतिरिक्त राज्य के 04 जिलों दुर्ग, अम्बिकापुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में भी प्राईस मॉनिटरिंग सेल संचालित किये जा रहे हैं। इन जिलों द्वारा प्रतिदिन 23 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा एवं थोक मूल्यों की जानकारी प्रतिदिन उपभोक्ता मंत्रालय भारत शासन को प्रेषित की जाती है। संचालनालय स्तर पर इन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की निगरानी की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य निम्नानुसार रहे—

खुदरा मूल्य

(रूपये/प्रति किलो)

क्र.	आवश्यक वस्तु	माह अप्रैल 2020	माह जनवरी 2021	मूल्य में प्रतिशत वृद्धि/कमी
1	तुअर दाल	85	90	6 % वृद्धि
2	मूंग दाल	100	100	—
3	उड़द दाल	100	86	14 % कमी
4	चना दाल	65	66	2 % वृद्धि
5	चावल	28	24	14 % कमी
6	शक्कर	36	38	6 % वृद्धि
7	सोयाबीन तेल	98	115	17 % वृद्धि
8	खाद्य तेल (सरसों)	116	145	25 % वृद्धि
9	प्याज	30	40	33 % वृद्धि

(ग) पेट्रोलियम पदार्थों की प्रदाय व्यवस्था

प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों के प्रदाय हेतु ऑयल कंपनियों के 3 डिपो संचालित हैं। पेट्रोलियम पदार्थों का वितरण 1,543 पेट्रोल एवं डीजल पम्पों, 67 थोक केरोसिन विक्रेताओं तथा 488 एल.पी.जी. वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कराया जा रहा है। जनवरी, 2021 की स्थिति में राज्य में कार्यरत पेट्रोल पंप, केरोसिन थोक डीलर एवं गैस एजेंसियों की जिलेवार संख्या निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	पेट्रोल/डीजल पंप की संख्या	एल.पी.जी. डीलर की संख्या	थोक केरोसिन डीलर की संख्या	केरोसिन हॉकर की संख्या
1	बस्तर	38	16	3	0
2	बीजापुर	5	6	0	0
3	दन्तेवाडा	13	9	0	0
4	कांकेर	35	21	2	0
5	कोण्डागांव	21	13	0	0
6	नारायणपुर	3	3	0	0
7	सुकमा	4	5	0	0
8	बिलासपुर	109	30	4	227
9	गौरला-पैण्ड्रा-मरवाही	10	8	0	0
10	जांजगीर	105	24	6	18
11	कोरबा	81	26	0	0
12	मुंगेली	25	10	3	17
13	रायगढ़	123	38	8	0
14	बालोद	48	8	3	13
15	बेमेतरा	54	13	2	0
16	दुर्ग	126	31	6	0
17	कवर्धा	39	12	2	0
18	राजनांदगांव	115	23	3	0
19	धमतरी	57	14	2	0
20	गरियांबद	24	10	1	0
21	महासमुन्द	53	18	2	1
22	रायपुर	207	42	6	1
23	बलौदाबाजार	74	23	5	127
24	बलरामपुर	23	13	1	0
25	जशपुर	37	18	1	17
26	कोरिया	26	19	2	10
27	सरगुजा	56	20	2	29
28	सूरजपुर	32	15	3	11
योग		1543	488	67	471

राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता की नियमित निगरानी की जा रही है ताकि आम उपभोक्ताओं को पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी के प्रदाय में सुगमता बनी रहे।

समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन

वर्तमान खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी हेतु 01 दिसंबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक नगद एवं लिंकिंग योजना के तहत खरीदी की समयसीमा निर्धारित की गई है। वर्तमान खरीफ वर्ष में कॉमन धान हेतु 1868 रूपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान हेतु 1888 रूपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है।



विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना

राज्य में विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना अप्रैल 2002 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में किसानों से धान उपार्जन हेतु राज्य शासन की अधिकृत एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ तथा चावल उपार्जन हेतु अधिकृत एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन है। समर्थन मूल्य पर किसानों से उपार्जित धान से मिलिंग उपरांत सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यकतानुसार चावल का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। राज्य में अतिरिक्त उपार्जित चावल केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किया जा रहा है। विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन से राज्य पीडीएस एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए चावल की आपूर्ति में आत्मनिर्भर हुआ है। देश के अन्य राज्यों के पीडीएस एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए केन्द्रीय पूल में सर्वाधिक चावल का परिदान करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है।

इस वर्ष 30 जनवरी, 2021 तक समितियों से सीधे राईस मिलर्स को कस्टम मिलिंग हेतु 29.49 लाख टन धान का प्रदाय किया गया। इस अवधि तक खरीदी केन्द्रों से 14.29 लाख टन धान संग्रहण केन्द्रों को जारी किया गया है। वर्तमान खरीफ वर्ष 2020-21 में विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना के अन्तर्गत 30 जनवरी, 2021 तक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपार्जित चावल की जानकारी निम्नानुसार है-


छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन	—	8.64 लाख टन
भारतीय खाद्य निगम	—	1.51 लाख टन
योग	—	10.15 लाख टन

धान / चावल उपार्जन कार्य में पारदर्शिता हेतु कम्प्यूटरीकरण

खरीफ वर्ष 2007-08 में विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया तथा प्रत्येक वर्ष धान खरीदी के अनुभव से आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु इसमें नियमित सुधार किया गया। इस वर्ष भी राज्य के 2,311 धान खरीदी केन्द्रों में राज्य के किसानों से कम्प्यूटर के माध्यम से धान खरीदी का कार्य किया जा रहा है।

वर्तमान खरीफ वर्ष 2020-21 में धान खरीदी व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु धान खरीदी केन्द्रों में धान विक्रय के लिए किसानों द्वारा स्वयं पंजीयन कराने की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष कुल 21.52 लाख किसानों द्वारा समितियों के खरीदी केन्द्र में धान विक्रय हेतु अपना पंजीयन कराया गया है। कुल पंजीकृत किसान में से 19.98 लाख किसानों की आधार सीडिंग की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक समिति के अंतर्गत आने वाले किसानों के नाम, कुल भूमि रकबा, धान का अनुमानित उत्पादन एवं विक्रय हेतु अनुमानित धान की मात्रा आदि की जानकारी धान खरीदी प्रारंभ होने के पहले ही कम्प्यूटर के साफ्टवेयर में दर्ज कर ली गई।

खरीदी केन्द्रों में ऑनलाईन धान खरीदी का कार्य वर्ष 2012-13 से प्रारंभ किया गया है। इस वर्ष संचालित 2,311 धान खरीदी केन्द्रों में से इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता के आधार पर ऑनलाईन धान खरीदी की व्यवस्था की गई। राज्य सरकार के इस प्रयास से धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी की जानकारी तत्काल उपलब्ध हो रही है। आवश्यकतानुसार कुछ धान खरीदी केन्द्रों में मोटर साईकल रनर्स के जरिए प्रतिदिन धान खरीदी का



डेटा वेबसाइट में अपलोड किया जाता है । अधिकांश किसानों को धान खरीदी का आनलाईन भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में पीएफएमएस के माध्यम से किया जा रहा है जिससे उन्हें उनकी उपज का पूरा एवं तत्काल भुगतान प्राप्त हो रहा है ।

शासकीय धान की कस्टम मिलिंग एवं कस्टम मिलड चावल के उपार्जन की समस्त प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत है, जिसके फलस्वरूप कस्टम मिलिंग के लिए प्रदाय धान एवं जमा हो रहे कस्टम मिलड चावल की जानकारी विभागीय वेबसाइट में ऑनलाईन उपलब्ध है । इस वर्ष 30 जनवरी 2021 तक समितियों से सीधे राईस मिलर्स को कस्टम मिलिंग हेतु 29.49 लाख टन धान का प्रदाय किया गया । इस अवधि तक खरीदी केन्द्रों से 14.29 लाख टन धान संग्रहण केन्द्रों को जारी किया गया ।

समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन से संबंधित किसानों को जानकारी, शिकायत एवं सुझाव के लिए राज्य शासन द्वारा किसान हेल्प लाईन नंबर 1800-233-3663 एवं 1967 प्रारंभ किया गया है । इसके अतिरिक्त पुलिस हेल्प लाईन नंबर 112 में भी धान विक्रय, भुगतान, बारदाना, टोकन आदि से संबंधित शिकायत एवं सुझाव दर्ज किए जा रहे हैं । किसानों को धान उपार्जन से संबंधित जानकारी मोबाईल में देने के लिए विभाग द्वारा "धनहा एप्प" जारी किया गया है । किसान एंड्रायड मोबाईल में गूगल प्लेस्टोर से धनहा एप्प डाउनलोड कर धान विक्रय एवं भुगतान से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है ।

विभागीय निगमों की गतिविधियां

(क) छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज़ कार्पोरेशन लिमिटेड

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज़ कार्पोरेशन द्वारा शासन के अभिकर्ता के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य संपादित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त कार्पोरेशन द्वारा भारतीय खाद्य निगम के अभिकर्ता के रूप में चावल का उपार्जन तथा समर्थन मूल्य पर मक्का उपार्जन किया जाता है ।



सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश के लिए खाद्यान्न, नमक एवं शक्कर का मासिक आबंटन कार्पोरेशन के द्वारा स्थापित किए गए प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों को उपलब्ध कराया जाता है । कार्पोरेशन के द्वारा 129 प्रदाय केन्द्र संचालित हैं । भारतीय खाद्य निगम के 11 बेस डिपो से गेहूं का उठाव करके प्रदाय केन्द्रों से सहकारी संस्था/उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक वितरण कराये जाने की व्यवस्था है । निगम द्वारा पीडीएस के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले शक्कर, अमृत नमक एवं चना का निविदा के माध्यम से उपार्जन किया जाता है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हितग्राही परिवारों तथा छात्रावास एवं कल्याणकारी योजना, मध्याह्न भोजन योजना एवं पूरक पोषण आहार योजनांतर्गत खाद्यान्न के उठाव, परिवहन एवं खाद्यान्न उपलब्धता बनाए रखने में निगम की प्रमुख भूमिका है ।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम

राज्यों में समुचित भण्डारण की व्यवस्था करने संसद में पारित वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट 1962 बना है, जिसके तहत इस निगम की स्थापना की गई है । यह छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम का संयुक्त उपक्रम है । वेयरहाउसिंग अधिनियम में अधिसूचित कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक भण्डारण हेतु राज्य में गोदामों का निर्माण करना तथा भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराना इस निगम का मुख्य उद्देश्य है । इसके साथ ही हम्माली एवं परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना, इच्छुक संस्थाएं/व्यक्तियों को अपने गोदामों में भण्डारित स्कंध के कीटोपचार की सुविधा प्रदान करना आदि भी निगम के कार्य हैं ।

छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम की उपलब्ध भण्डारण क्षमता का शासकीय एजेंसियों के अलावा कृषक, व्यापारी भी उपयोग कर सकते हैं । निगम कृषकों को स्कंध भण्डारित करने पर लगाने वाले शुल्क में विशेष रियायतें प्रदान करती है तथा राष्ट्रीयकृत बैंक एवं अधिसूचित बैंक, कृषकों, व्यापारियों को वेयरहाउसिंग रसीद पर ऋण सुविधा सुगमता से उपलब्ध कराती है ।



छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम की 135 शाखाएं राज्य में संचालित हैं। जनवरी, 2021 की स्थिति में निगम की स्वनिर्मित भण्डारण क्षमता 16.07 लाख टन है। निगम स्वयं की क्षमता के अतिरिक्त वैज्ञानिक भण्डारण हेतु उपयुक्त गोदामों को किराए पर अधिग्रहित करती है। वर्तमान में किराए की भण्डारण क्षमता 2.13 लाख टन है। वर्तमान में निगम की कुल भण्डारण क्षमता 18.21 लाख टन है। निगम गठन दिनांक 02.05.2002 से लाभप्रद स्थिति में है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि 104.426 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

राज्य में भण्डारण क्षमता विकसित करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में भारत शासन की PEG एवं अन्य शासकीय योजनाओं में 24,400 टन क्षमता के नये गोदामों का निर्माण किया जा रहा है तथा 84,600 टन क्षमता के गोदाम निर्माण प्रस्तावित है। निगम द्वारा भण्डारगृहों पर 60/40 टन क्षमता के 147 इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा स्थापित किए गये हैं।



उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता अधिकार

उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण का प्रमुख दायित्व राज्य का है क्योंकि राज्य से यह अपेक्षा होती है कि वह राज्य के नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करें। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता हितों के उचित संरक्षण एवं उपभोक्ता विवादों के त्वरित निराकरण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 प्रभावशील किया गया। यह अधिनियम संपूर्ण राष्ट्र में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण का मुख्य आधार है, जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से लेकर महानगरों में निवासरत उपभोक्ता स्वयं को अधिकार संपन्न महसूस करता है।





उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने का स्थान

जिला उपभोक्ता फोरम

01 करोड़ रुपए तक के प्रकरण पंजीबद्ध होते हैं।

राज्य आयोग

01 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के प्रकरण पंजीबद्ध होते हैं।


राष्ट्रीय आयोग

10 करोड़ रुपए से अधिक के प्रकरण पंजीबद्ध होते हैं।

ऑनलाईन शिकायत दर्ज करने हेतु "ई-दाखिल" –

राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला आयोग में इलेक्ट्रानिक रूप से ऑनलाईन शिकायत दर्ज कराने हेतु उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी "ई-दाखिल" पोर्टल का शुभारंभ राज्य में 24 दिसंबर, 2020 से किया गया है। उपभोक्ता ई-दाखिल पोर्टल के लिंक www.confonet.nic.in पर जाकर अपनी शिकायत ऑनलाईन दर्ज कर सकते हैं।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की संरचना



उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण हेतु त्रि-स्तरीय उपभोक्ता न्यायालयों की व्यवस्था है, जिसके लिए राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार सेटअप स्वीकृत किया गया है –

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद
1	अध्यक्ष	01
2	सदस्य	03
3	रजिस्ट्रार	01
4	द्वितीय श्रेणी पद	01
5	तृतीय श्रेणी पद	27
6	चतुर्थ श्रेणी पद	17
योग		50

जिला उपभोक्ता फोरम

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद
1	अध्यक्ष	12
2	सदस्य	54
3	तृतीय श्रेणी पद	116
4	चतुर्थ श्रेणी पद	143
योग		325

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम

अधिनियम में प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में एक उपभोक्ता फोरम स्थापित हो । आवश्यकतानुसार एक से अधिक जिला फोरम भी स्थापित किये जा सकते हैं । प्रदेश के समस्त जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम स्थापित है जिनमें से 12 जिलों में पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता फोरम क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, राजनांदगांव, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया, कोरबा, कबीरधाम, धमतरी एवं जांजगीर तथा शेष 15 जिले बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, सुकमा, मुंगेली, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, बलरामपुर, जशपुर, सूरजपुर में अंशकालिक जिला फोरम कार्यरत हैं ।

जिला फोरम में रूपये 01 करोड़ तक के प्रकरण पंजीबद्ध होते हैं, जिसे उपभोक्ता /परिवादी द्वारा सादे आवेदन पत्र पर पंजीबद्ध कराया जा सकता है ।

राज्य के समस्त जिला फोरमों में अभी तक पंजीबद्ध एवं निराकृत प्रकरणों की संख्या (दिसंबर, 2020 की स्थिति में) निम्नानुसार है –

प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	लंबित प्रकरण
63086	54548	8538

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सामान्य प्रकरणों के निराकरण अवधि 3 माह तथा ऐसे प्रकरण जिनमें सेवाओं, उत्पाद या नमूना का प्रयोगशाला में विश्लेषण आवश्यक हो, के लिए निराकरण अवधि 5 माह निर्धारित की गई है ।

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर का गठन दिनांक 01.11.2002 को किया गया है । जिसका मुख्य कार्य जिला फोरमों के फैसलों के विरुद्ध आने वाली अपीलों की सुनवाई तथा रूपये 01 करोड़ से अधिक एवं 10 करोड़ तक की शिकायतों की सुनवाई करना है ।



छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में अभी तक पंजीबद्ध एवं निराकृत प्रकरणों की संख्या (नवंबर, 2020 की स्थिति में) निम्नानुसार है –


विवरण	प्राप्त प्रकरण	निराकृत	शेष लंबित
मूल शिकायत	666	591	75
अपील	14906	14614	292
विविध	885	868	17
योग	16457	16073	384

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी तथा राज्य में पीडीएस की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु राज्य खाद्य आयोग का गठन मार्च, 2017 में किया गया है। राज्य खाद्य आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष तथा 4 सदस्य पदस्थ है। आयोग का मुख्यालय नया रायपुर में है। आयोग के गठन से अब तक इसकी 03 अंतर्विभागीय बैठकें आयोजित हो चुकी हैं, जिसमें वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में राज्य शासन द्वारा घोषित सूखाग्रस्त तहसीलों में अनाज की उपलब्धता तथा इसके वितरण की समीक्षा की गयी तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 में उल्लेखित हितग्राहियों की पात्रताओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गयी। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के अंतर्गत जिला स्तर पर शिकायतों की सुनवाई के लिये नियुक्त जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर अपील पर राज्य खाद्य आयोग द्वारा सुनवाई के प्रावधान है।



छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग की संरचना



छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के लिए राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार सेट-अप स्वीकृत किया गया है –

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद
1	अध्यक्ष	1
2	सदस्य	5
3	सदस्य सचिव	1
4	तृतीय श्रेणी पद	12
5	चतुर्थ श्रेणी पद	13
	योग	32

राज्य खाद्य आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में उल्लेखित पात्रताओं के क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु खाद्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्विभागीय समन्वय तथा शिकायतों के संकलन एवं समय पर निराकरण हेतु 01 सितंबर, 2020 को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों को जिला शिकायत निवारण अधिकारी एवं नोडल अधिकारियों के साथ शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की गई। वर्ष 2020-21 में दिसंबर 2020 तक जिला शिकायत निवारण अधिकारियों को 426 शिकायत प्राप्त हुई है, जिनमें से 190 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रताओं के क्रियान्वयन की निगरानी एवं शिकायत तथा सुझाव ऑनलाईन दर्ज करने हेतु 18 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। राज्य खाद्य आयोग को दिसंबर 2020 तक 67 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 20 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।

नियंत्रक विधिक मापविज्ञान कार्यालय एवं गतिविधियां


नियंत्रक विधिक मापविज्ञान कार्यालय की संरचना एवं मुख्य उद्देश्य

विधिक मापविज्ञान कार्यालय का मुख्य उद्देश्य राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित बांट माप नियमों का परिपालन सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत विभाग विभिन्न स्तरों पर बांट-माप के मानकों का संधारण कर व्यापार और वाणिज्य में उपयोग में लाये जाने वाले बांट माप तथा तौल यंत्रों की प्रमाणिकता को सुनिश्चित कर उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है।

बाजार में क्रय विक्रय और विनिमय के दौरान वस्तुओं का सही मात्रा में परिदाय हो यह देखना भी विभाग का मुख्य कार्य है।

राज्य में बाट एवं माप हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में 524 पुनः सत्यापन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बाजार का सतत् निरीक्षण कर नाप तौल नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध अभियोजन प्रकरण दर्ज किये जाते हैं।

नियंत्रक विधिक मापविज्ञान कार्यालय की संरचना



राज्य पुनर्गठन के पश्चात् नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 171 अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अमला स्वीकृत किया गया है, जिनमें प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के 02 पद, द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के 06 पद एवं तृतीय श्रेणी के 105 एवं चतुर्थ श्रेणी के 58 पद स्वीकृत हैं।

संयुक्त नियंत्रक एवं उप नियंत्रक विधिक मापविज्ञान के एक-एक पद राज्य कैडर के हैं, जिनकी पदस्थापना रायपुर में है। जबकि 03 सहायक नियंत्रकों के मुख्यालय क्रमशः रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में हैं। प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर कम से कम एक निरीक्षक मुख्यालय स्थापित है।

सभी संवर्गों में स्वीकृत पदों की स्थिति निम्नानुसार है :-

कार्यरत अमले की जानकारी

क्रमांक	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	प्रथम	2
2	द्वितीय	6
3	तृतीय	103
4	चतुर्थ	60
योग		171

बाँट-माप प्रयोगशाला का निर्माण

भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा विधिक मापविज्ञान विभाग छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 15 कार्यकारी मानक प्रयोगशाला एवं एक द्वितीयक मानक प्रयोगशाला बनाने हेतु राशि 3.75 करोड़ रूपए स्वीकृति प्रदाय की गई है। उक्त राशि से जिला बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, अम्बिकापुर, जगदलपुर, धमतरी, कबीरधाम, जांजगीर, महासमुंद, राजनांदगांव, कोरबा एवं कांकेर में मानक प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है।



प्रदेश के कारोबारियों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे बाँट-माप एवं तौल उपकरणों के सत्यापन को Ease of Doing Business की ऑनलाईन प्रक्रिया से जोड़ते हुए इन सेवाओं को ऑनलाईन प्रदाय करने की सुविधा विभाग द्वारा जुलाई 2017 से प्रारंभ की गई है। इस प्रक्रिया में बाँट, माप एवं तौल उपकरणों के भौतिक सत्यापन के 48 घंटे की समयावधि के अंतर्गत उपकरण के सत्यापन का ऑनलाईन प्रमाणपत्र विभाग द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जाता है। विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 में 41,803 व्यापारियों को, वर्ष 2016-17 में 37,780 व्यापारियों, वर्ष 2017-18 में 8904 व्यापारियों को, वर्ष 2018-19 में 13,807 व्यापारियों को तथा वर्ष 2019-20 में 18,434 व्यापारियों को सत्यापन प्रमाण पत्र जारी कर इसकी प्रति आम उपभोक्ताओं के अवलोकन के लिये विभागीय वेबसाइट में उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिसम्बर, 2020 तक 14,053 व्यापारियों को उनके बाँट माप तथा अन्य तौल यंत्रों का सत्यापन का प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है। इस सेवा के प्रारंभ होने से व्यापारियों एवं आम उपभोक्ताओं को लाभ हो रहा है।

विभागीय आय

बांट माप सत्यापन शुल्क के रूप में विभाग को राजस्व की प्राप्ति होती है और यही उसकी आय का मुख्य स्रोत है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय का लक्ष्य आबंटित किया जाता है जिसके विरुद्ध विभागीय निरीक्षक, राजस्व प्राप्त करते हैं। इस वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु राशि रूपये 6.50 करोड़ का आय लक्ष्य निर्धारित है। जिसके विरुद्ध माह अप्रैल से नवंबर, 2020 तक राशि रूपये 3.82 करोड़ की राजस्व वसूली की जा चुकी है।

निरीक्षकों द्वारा बाजार का सतत निरीक्षण कर बांट माप नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियोजन दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जाती है। प्रकरण राजीनामा के माध्यम से भी निराकृत किये जाते हैं, जिससे भी विभाग को राजस्व प्राप्त होता है। इस वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल से नवंबर 2020 तक कुल 808 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन प्रकरणों से 37.12 लाख राजस्व की प्राप्ति हुई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

विभाग में सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत समस्त अनुदेशों का पालन प्रारंभ किया जा चुका है जिसके अंतर्गत सूचना प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार उन्हें अभिलेखों की प्रतिलिपियां / जानकारियां प्रदान की जाती हैं। विभाग, संचालनालय एवं जिला स्तर पर नियुक्त सहायक जनसूचना अधिकारी, जनसूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी की जानकारी निम्नानुसार है :-

विभाग-स्तर पर

सहायक जन सूचना अधिकारी	जन सूचना अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
अनुभाग अधिकारी छ.ग.शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग	अवर सचिव छ.ग.शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग	विशेष सचिव छ.ग.शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

संचालनालय स्तर पर

सहायक जन सूचना अधिकारी	जन सूचना अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
सहायक खाद्य अधिकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. रायपुर	उप संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. रायपुर	अपर संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

जिला स्तर पर

सहायक जन सूचना अधिकारी	जन सूचना अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
खाद्य निरीक्षक	सहायक खाद्य अधिकारी	खाद्य नियंत्रक / खाद्य अधिकारी

लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहीत अधिकारी, सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का विवरण निम्नानुसार है :-

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

क्र	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ0ग0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा	सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा)	नियंत्रण आदेश के तहत व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति की स्वीकृति	30 दिवस	खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
2	कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा)	अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	30 दिवस	खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
3	कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा)	उचित मूल्य दुकान का आबंटन (जिला मुख्यालय पर)	30 दिवस	खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
4	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)	उचित मूल्य दुकान का आबंटन (जिला मुख्यालय के अतिरिक्त)	30 दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
5	कार्यालय नगरीय निकाय	चिन्हांकित अन्त्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जारी राशनकार्ड हेतु (शहरी क्षेत्र)	30 दिवस	नगरीय निकाय आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
6	कार्यालय ग्राम पंचायत	चिन्हांकित अन्त्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जारी राशनकार्ड हेतु (ग्रामीण क्षेत्र)	30 दिवस	सचिव, ग्राम पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
7	कार्यालय नगरीय निकाय	चिन्हांकित अन्त्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जारी राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने/सदस्य विलोपित/अंतरित करने (शहरी क्षेत्र)	30 दिवस	नगरीय निकाय आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
8	कार्यालय ग्राम पंचायत	चिन्हांकित अन्त्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जारी राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने/सदस्य विलोपित/अंतरित करने (ग्रामीण क्षेत्र)	30 दिवस	सचिव, ग्राम पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

जिला कार्यालयों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत प्रदत्त सेवाओं में अप्रैल से दिसंबर, 2020 तक कुल 5,04,627 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों में से 5,04,511 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है।

विधिक मापविज्ञान विभाग

क.	कार्यालय / निकाय / अभिकरण का नाम	छ0ग0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा	सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल, छ.ग. रायपुर	नाप-तौल उपकरणों का मूल मुद्रांकन एवं सत्यापन	15 कार्य दिवस	निरीक्षक नाप-तौल	सहायक / उप-नियंत्रक, नाप-तौल छ0ग0	नियंत्रक, नाप-तौल
2	कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल, छ.ग. रायपुर	नवीन अनुज्ञप्ति (सैंपल टेस्ट पास करना) निर्माता अनुज्ञप्ति	45 कार्य दिवस	सहायक / उप-नियंत्रक, नाप-तौल छ0ग0	नियंत्रक, नाप-तौल	सचिव, खाद्य
3	कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल, छ.ग. रायपुर	विक्रेता अनुज्ञप्ति का प्रदाय (भारी एवं इलेक्ट्रानिक उपकरण)	30 कार्य दिवस	सहायक / उप-नियंत्रक, नाप-तौल छ0ग0	नियंत्रक, नाप-तौल	सचिव, खाद्य
4	कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल, छ.ग. रायपुर	विक्रेता अनुज्ञप्ति का प्रदाय (छोटे उपकरण)	30 कार्य दिवस	सहायक / उप-नियंत्रक, नाप-तौल छ0ग0	नियंत्रक, नाप-तौल छ0ग0	सचिव, खाद्य
5	कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल, छ.ग. रायपुर	सुधारक अनुज्ञप्तियों का प्रदाय (भारी उपकरण)	30 कार्य दिवस	सहायक / उप-नियंत्रक, नाप-तौल छ0ग0	नियंत्रक, नाप-तौल	सचिव, खाद्य
6	कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल, छ.ग. रायपुर	सुधारक अनुज्ञप्तियों का प्रदाय (छोटे उपकरण)	30 कार्य दिवस	सहायक / उप-नियंत्रक, नाप-तौल छ0ग0	नियंत्रक, नाप-तौल छ0ग0	सचिव, खाद्य
7	कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल, छ.ग. रायपुर	अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण	20 कार्य दिवस	सहायक / उप-नियंत्रक, नाप-तौल छ0ग0	नियंत्रक, नाप-तौल छ0ग0	सचिव, खाद्य

विधिक माप विज्ञान के जिला कार्यालयों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत प्रदत्त सेवाओं में अप्रैल से नवंबर 2020 तक कुल 19,886 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों में से 19,245 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है।

भाग-दो
विभागीय बजट

केन्द्र शासन एवं राज्य शासन से विशेष कार्यों के लिए प्राप्त राशियां आयोजना मद में स्वीकृत होती है। वर्ष 2020-21 के लिए बजट में निम्नानुसार राशि प्रावधानित है – (राशि लाख रुपये में)

स.क्र.	योजना क्रमांक/नाम	बजट	दिसंबर 2020 तक व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	योजना क्रमांक 6797-उपभोक्ताओं के जागरूकता हेतु वित्तीय सहायता (केन्द्र क्षेत्रीय योजना)	0.10	0.00	0%
2	योजना क्रमांक 7882-प्राइस मॉनिटरिंग सेल	12.00	1.48	12%
3	योजना क्रमांक 7944-एकीकृत प्रबंधन – सार्वजनिक वितरण प्रणाली	141.60	0.00	0%
4	योजना क्रमांक 6964-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सहायता (केन्द्र प्रवर्तित योजना)	0.10	0.00	0%
5	योजना क्रमांक 8919-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	2980.00	0	0%
6	योजना क्रमांक 5065-अन्नपूर्णा योजना	57.51	21.21	37%
7	योजना क्रमांक 5456-अंत्योदय अन्न योजना	987.00	616.17	62%
8	योजना क्रमांक 5591-अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्रों को प्रोत्साहन सहायता	0.30	0.00	0%
9	योजना क्रमांक 6839-मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	340983.05	90000.00	26%
10	योजना क्रमांक 7436-अंत्योदय अन्न योजनांतर्गत चना का प्रदाय	17100.00	3420.00	20%
11	योजना क्रमांक 8933-शक्कर वितरण योजना	10000.00	0	0%
12	योजना क्रमांक 9993-रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान	4934.03	4674.03	95%
13	योजना क्रमांक 7994-गुड वितरण योजना	5000.00	2370.00	47%
14	योजना क्रमांक 7872-पीडीएस डीलर का मार्जिन	7352.56	0.00	0%
15	योजना क्रमांक 7894-उचित मूल्य दुकानों को वित्तीय पोषण	8500.00	0.00	0%
16	योजना क्रमांक 7906-त्योहार/मेलों हेतु दाल-भात केन्द्रों का संचालन	48.00	0.00	0%

17	योजना क्रमांक 6401-राईस फोर्टिफिकेशन (केन्द्र प्रवर्तित योजना)	580.00	0.00	0%
18	योजना क्रमांक 7800-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	0.30	0.00	0%
19	योजना क्रमांक 7801-मूल्य स्थरीकरण निधि योजना (केन्द्र प्रवर्तित योजना)	100.00	0.00	0%
20	योजना क्रमांक 1471-जिला कार्यालय	3149.20	2003.08	64%
21	योजना क्रमांक 3537-मुख्य कार्यालय	324.16	231.75	71%
22	योजना क्रमांक 629-उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ	1553.25	832.80	54%
23	योजना क्रमांक 7810-छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग	117.50	35.92	31%
24	योजना क्रमांक 7810-छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग (केन्द्र क्षेत्रीय योजना)	12.50	0.00	0%
25	योजना क्रमांक 7016-राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र (केन्द्र क्षेत्रीय योजना)	0.30	0.00	0%
26	योजना क्रमांक 3229-नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	1300.00	0.00	0%
27	योजना क्रमांक 3248-राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	55000.00	25000.00	45%
28	योजना क्रमांक 8674-राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति	30412.00	10200.00	34%
29	योजना क्रमांक 6964-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सहायता (राज्य आयोजना)	106.00	1.48	1%
30	योजना क्रमांक 6914-पहुंचविहीन क्षेत्रों हेतु वर्षाऋतु में खाद्यान्न भंडारण हेतु सहायता	250.00	0.00	0%
31	योजना क्रमांक 7478-नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु	0.30	0.00	0%
32	योजना क्रमांक 8895-ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान सह गोदाम निर्माण योजना वितरण	75.00	0	0%
33	योजना क्रमांक 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	15400.00	0	0%
योग		506476.76	139407.92	28 %



